8/3/25 आज पत्रावली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई तहसीलदार बाड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो शामिल पत्रावली की गई। बहस प्रार्थिया सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मैसज कुमार [illegible] नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सदस्य)
लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
बाड़ी जिला-धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी जिला धौलपुर

प्रकरण संख्या0 1/25

पीठासीन अधिकारी:— श्री नीरज कुमार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बाड़ी
सदस्य:— श्री भगवत शरण त्यागी उपखण्डाधिकारी बाड़ी जिला धौलपुर

1. अजय पुत्र भूरा उर्फ प्रेमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम देवीसिंह का पुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर
2. भानू पुत्र भूरा उर्फ प्रेमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम देवीसिंह का पुरा हसील बाड़ी जिला धौलपुर
3. मुकेश पुत्र भूरा उर्फ प्रेमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम देवीसिंह का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
4. सुधा पत्नी भूरा उर्फ प्रेमसिंह जाति ठाकुर निवसी ग्राम देवीसिंह का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर

..... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिए लैण्ड हौल्डर जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर राजस्थान।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

वकील प्रार्थी — श्री बच्चू सिंह परमार एड.
वकील अप्रार्थी — पेरोकार सरकार

दिनांक 08.03.2025
राष्ट्रीय लोक अदालत

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण खाता संख्या 43 की आराजी खसरा नम्बर 55 रकवा 0.6576 हैक्टैयर वाके ग्राम ताल रामसागर तहसील बाडी में स्थित प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। व इसी प्रकार खाता संख्या 49 की आराजी खसरा नम्बर 37 रकवा 0.2656 हैक्टैयर वाके ग्राम सहेडी नम्बर 2 तहसील बाडी में स्थित प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। व इसी प्रकार खाता संख्या 66 की आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 0.5817 हैक्टै0 वाके ग्राम सहेडी नम्बर 2 तहसील बाडी में स्थित प्रार्थीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। व इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त हिस्से की आराजी प्रार्थी संख्या 1लगावय 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति के बचपन का नाम भूरा था जबकि अन्य आवश्यक दस्तावेजों में नाम प्रेमसिंह था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम

(सदस्य)
लोक अदालत

लोक अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
बाड़ी, जिला-धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

भूरा अंकित हो गया जबकि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति का वास्तविक नाम भूरा उर्फ प्रमसिंह था। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति का वास्तविक नाम भूरा उर्फ प्रेमसिंह था। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति भूरा उर्फ प्रेमसिंह का काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है। चुकि जब प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति भूरा उर्फ प्रेमसिंह का देहान्त हो गया था उस समय प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 काफी छोटे थे व प्रार्थी संख्या 4 अनपढ एवं कानून से अनभिज्ञ महिला थी। इसलिए विरासत का दाखिल खारिज खुलते समय भी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता का नाम व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम विरासत में केवल भूरा ही अंकित हो गया जबकि सही नाम भूरा उर्फ प्रेमसिंह अंकित होना था। व इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 3 का वास्तविक एवं दस्तावेजों में नाम मुकेश है परन्तु आम बोलचाल में मुकेश को विट्टू के नाम से पुकारते है। इसलिए विरासत के दाखिल खारिज के समय मुकेश नाम के स्थान पर विट्टू गलत अंकित हो गया है। परन्तु प्रार्थीगण के समस्त कागजात में उनकी बल्दियत प्रेमसिंह अंकित है व प्रार्थी संख्या 3 का नाम मुकेश अंकित है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशान हो रही है प्रार्थीगण के दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड का मिलान नही हो पा रहा है जिस कारण से प्रार्थीगणों को अपनी आराजी से सम्मन्धित सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नही हो पा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से गलत नाम की एन्ट्री को प्रार्थीगण शुद्ध करा पाने के अधिकारी है। दिनांक 11–11–2024 को प्रार्थीगण के कृषि ऋण के लिए अपनी जमाबन्दी निकलवाने पटवार हल्का सहेडी नम्बर 2 के पास गया तो राजस्व रिकॉर्ड में पाया कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति का बल्दियत का नाम भूरा अंकित हो गया है जबकि सही नाम भूरा उर्फ प्रेमसिंह अंकित होना चाहिए था व इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 3 का गलत नाम विट्टू अंकित हो गया है। जबकि सही नाम मुकेश अंकित होना चाहिए था। प्रार्थीगण ने उक्त नाम शुद्धि बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब बाडी के यहॉ राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने बाबत निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की बल्दियत का नाम अभी तक दुरूस्त नही किया इसलिए प्रार्थीगण को गलत इन्द्राज को शुद्ध कराने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण को कृषि कार्य एवं घरेलू आवश्यकता पूर्ती हेतु ऋण की जरूरत है इसलिए प्रार्थीगण बैक से ऋण प्राप्त करना चाहते है विना राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम की शुद्धि व प्रार्थी संख्या 3 के नाम की शुद्धि कराये बगैर किसी भी बैक से ऋण प्राप्त नही हो सकता । विनय मुखसमत बर दायरी दावा पूर्व दिनांक 11.11.2024 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम भूरा गलत अंकित होने एवं प्रार्थी संख्या 3 का नाम विट्टू गलत अंकित होने एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा हो रहे गलत इन्द्राज को दूरूस्त करने से इन्कारी होने पर अन्दर हदूद अदालत पैदा हुआ है जो निरन्तर जारी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति के बल्दियत के नाम भूरा के स्थान पर भूरा उर्फ प्रेमसिंह दर्ज किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 3 के नाम विट्टू के स्थान पर दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें। एवं इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें।

(सदस्य)
लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
बाड़ी, जिला–धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी की ओर से अपने जबाव प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम देवीसिंह का पुरा मौके पर पहुचॉ । मौके पर उपस्थित व्यक्यिो के समक्ष मजमेआम में जॉच की गई। प्रार्थीगण क.स. 1 पर अंकित अजय, व क.स. 2 पर अंकित भानू व क.स. पर अंकित मुकेश के पिता भूरा उर्फ प्रेमसिंह व क.स. 4 पर अंकित सुधा पत्नि भूरा उर्फ प्रेमसिंह है राजस्व रिकाड्र जमाबन्दी ग्राम सहेडी न0 2 के खाता 66, 49 व ग्राम तालरामसागर के खाता संख्या 43 सम्बत 2076–79 की जमाबन्दी के अनुसार अजय, भानू, मुकेश पुत्रगण भूरा व सुधा पत्नि भूरा हिस्सा मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है उपरोक्त खाता संख्या के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बर पर उक्त भूरा नाम अपने पिता नारायन सिंह की मृन्य पश्चात विरासत के नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 02.09.1976 वाके ग्राम ताल रामसागर से प्रविष्ठ हुआ था एवं जबसे ही वर्तमान जबान्दी ग्राम सहेडी न02 के खाता संख्या 66 व 49 व तालरामसाग के खाता संख 43 पर भूरा ही चला आ रहा है मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण के पिता एवं पति का नाम भूरा उर्फ प्रेमसिंह है अर्थात भूरा ही प्रेमसिंह है इसको दो नामों से जाना जाता था। भूरा उर्फ पेंमसिंह एक ही व्यक्ति है भूरा उर्फ प्रेमसिंह पुत्र नारायनसिंह नाम का गाम में अन्य कोई व्यक्ति नही है उपरोक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन व विवाद आदि नही है नाम शुद्ध किया जाना उचित है। बहस सुनी गई।

हमने बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति राशन कार्ड, तथा जवाव अप्रार्थी तहसीलदार सरमथुरा का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़ी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति के बल्दियत के नाम भूरा के स्थान पर भूरा उर्फ प्रेमसिंह दर्ज किया जावे एवं प्रार्थी संख्या 3 के नाम विट्टू के स्थान पर मुकेश कर दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

तहरीर तहसीलदार बाड़ी को जारी हो ।

आज दिनांक 08.03.2025 को यह फैंसला राष्ट्रीय लोक–अदालत में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सदस्य)
लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
बाड़ी, जिला–धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner